सॉयल हैल्थ कार्ड

स्वस्थ धरा, खेत हरा

देश के बढ़ते कदम मोदी सरकार के संग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

कृषि अनुसंधान

वर्ष 2010-14 के दौरान 448 किस्मों की तुलना में पिछले 4 वर्षों के दौरान 898 उच्च उपज, जलवायु अनुकूल फसलों की किस्में/संकर किस्में जारी

उच्च गुणवत्ता के बीज पैदा करने के लिए 35 तिलहन, 150 दलहन के बीज हब स्थापित

हरित क्रांति

खाद्यान्न उत्पादन

वर्ष 2017-18 (चौथे अग्रिम अनुमान) में उत्पादन 284.83 मिलियन टन जोकि वर्ष 2010 -15 के औसत वार्षिक उत्पादन 255.59 मिलियन टन से 11.44% अधिक

दालों का उत्पादन

वर्ष 2017-18 (चौथे अग्रिम अनुमान) में उत्पादन 25.23 मिलियन टन जोकि वर्ष 2010-15 के औसत वार्षिक उत्पादन 18.01 मिलियन टन से

40.09% अधिक

मधु क्रांति

वर्ष 2017-18 में उत्पादन 105 मीट्रिक टन जोकि वर्ष 2010-14 के औसत वार्षिक उत्पादन 71.73 मीट्रिक टन से

46.38% अधिक

वर्ष 2015-18 के दौरान पहली बार राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा 16 एकीकृत मधुमक्खीपालन विकास केंद्र स्थापित

बागवानी उत्पादन

वर्ष 2017-18 (तीसरे अग्रिम अनुमान) में उत्पादन 306.82 मिलियन टन जोकि वर्ष 2010 से 14(चार वर्ष) के औसत वार्षिक उत्पादन 261 मिलियन टन से

17.55% अधिक

कृषि सहकारिता

सहकारिता क्षेत्र को ऋण एवं सहायता के लिए एनसीडीसी द्वारा वर्ष 2010-14 में निर्गत राशि रु. 19850.57 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-18 में निर्गत राशि रु. 67050.17 करोड़ में

237.77% की वृद्धि

नीली क्रांति

मत्स्य उत्पादन

वर्ष 2017-18 का मछली उत्पापदन 126.14 लाख टन जोकि वर्ष 2010-14 का औसत वार्षिक उत्पादन 88.69 लाख टन से

42.22% अधिक

श्वेत क्रांति

वर्ष 2017-18 में उत्पादन 176.35 मिलियन टन जोकि वर्ष 2010-14 के औसत वार्षिक उत्पादन 129.95 मिलियन टन से

35.70% अधिक

सक्षम किसान

पीएम-किसान

10 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा 6 हजार रूपये प्रति वर्ष

समृद्ध भारत

श्री राधा मोहन सिंह
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

श्री परशोत्तम रूपाला
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री

श्रीमती कृष्णा राज
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

किसान हित में समर्पित

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशन में गत वर्षों में कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए जो सतत् प्रयास किए गये हैं उनके उत्साहजनक व सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए जिस मनोयोग से काम में जुटी है, इससे किसानों के जीवन में गुणात्मक सुधार आ रहा है। मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए देश के सामने नई कार्यविधि, पारदर्शी कार्यशैली के नए प्रतिमान रचे हैं। सरकार ने समयबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में किसान कल्याण की योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्यों को मिशन मोड में परिवर्तित किया है। मोदी सरकार ने किसानों के मन में देश की कृषि उन्नति के लिए की गई नई पहलों के प्रति जागरूकता लाने में सफल हुई है। आज तक के कार्यकाल में किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने का सतत् एवं सशक्त प्रयास किया है।

विगत वर्षों के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के हित में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। अब "किसान कल्याण" सरकार की कृषि नीति की मुख्य धुरी है। इसके क्रियान्वयन के लिए कृषि प्रक्षेत्र में रोजगारों

की बढ़ोत्तरी तथा किसानों की आय में वृद्धि मुख्य आयाम हैं। इन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार कृषि की उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी, अधिक मूल्य वाली फसलों को महत्व देने, जोखिम न्यूनीकरण तथा सतत कृषि के लिए प्रयासरत है।

उपरोक्त ध्येय की प्राप्ति के लिए कृषि प्रक्षेत्र में जारी की जाने वाली बजटीय आवंटन में 74% की उल्लेखनीय वृद्धि, एसडीआरएफ आवंटन को लगभग दोगुना किए जाने के अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी बनाए गए हैं यथा रु. 5 हजार करोड़ सूक्ष्म सिंचाई कोष, डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना कोष हेतु रु. 10,081 करोड़ का आवंटन, मत्स्य एवं जलीय विज्ञान अवसंरचना के लिए रु. 7,550 करोड़ का कोष, पशुपालन अवसंरचना के विकास के लिए रु. 2,450 करोड़ का कोष तथा ग्रामीण कृषि बाजार अवसंरचना के विकास हेतु रु. 2,000 करोड़ का कोष सम्मिलित है।

उपरोक्त वित्तीय प्रावधानों के साथ कई महत्वपूर्ण वैधानिक तथा नीतिगत सुधार भी किए गए हैं। इसमें पहली बार एक राष्ट्रीय मानक के आधार पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) उपलब्ध कराना, ई–प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य हेतु ई–नाम प्लेटफॉर्म का निर्माण किसानों के फसलों के अधिकतम

जोखिम को कवर करने हेतु न्यूनतम प्रीमियम पर कैपिंग हटाकर Scale of Finance के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल की हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) के साथ–साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोत्साहन हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना, सतत कृषि (Sustainable Agriculture) के लिए 'मेड़ पर पेड़', सूक्ष्म सिंचाई पर विशेष बल देते हुए "Per Drop More Crop", देश की 99 वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं जो वर्षों से लंबित पड़ी थीए को पूरा करने एवं प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देशव्यापी कृषि के लिए समर्पित अलग विधुत फीडर संरचना का कार्य द्रुत गति से क्रियान्वयन तथा नए अवतार में बांस मिशन (Bamboo Mission) को भी किसानों को समर्पित किया गया है।

विगत 4 वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह में 57% इजाफा करते हुए इसे 11 लाख करोड़ तक तथा ब्याज सहायता को भी डेढ़ गुना करते हुए 15 हजार करोड़ तक पहुंचाया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार के कार्यकाल में राज्य सरकार तथा नाबार्ड के FPO के अतिरिक्त SFAC द्वारा 546 FPO का गठन किया गया है। भूमिहीन किसानों के लिए 6.72 लाख से बढ़ाकर 27.49 लाख संयुक्त देयता समूह (Joint Liability Group) गठित किए गए हैं।

किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करने

के प्रयासों के अंतर्गत न सिर्फ सभी 24 फसलों के लिए अपने वायदे अनुसार MSP को लागत मूल्य से डेढ़ गुना किया है वरन् PSS, PSF, तथा MIS योजना के माध्यम से लगभग 15 गुना तक की अभूतपूर्व खरीददारी भारत सरकार द्वारा की गई है।

भारतीय कृषि को बहिर्मुखी बनाने के उद्देश्य से न सिर्फ नई कृषि व्यापार नीति तैयार की गई है वरन् मोदी सरकार के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप समुद्री उत्पाद के निर्यात मूल्य में 95%, चावल में 84%, ताजे फलों (Fresh Fruits) में 77%, ताजे सब्जियों (Fresh Vegetables) में 43% तथा मसालों (Spices) में 38% की वृद्धि दर्ज की गई है।

समय–समय पर किसान हित में तिलहन तथा दलहन पर आयात शुल्क मात्रात्मक रोक के माध्यम से किसान हितों की भी रक्षा की गई है।

वैधानिक सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लागू करने के लिए APMC Act में जरूरी संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नए APLM Act, लैंड लीजिंग एक्ट तथा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एवं सर्विसेज एक्ट को राज्यों को लागू करने हेतु निर्गत किया गया है।

कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र में किसानों की उत्पादकता तथा आय बढ़ाने के उद्देश्य से 795 नई फसलें किसानों को जारी की गई है, जिसमें न सिर्फ बायोफोर्टिफिकेशन

वरन् जलवायु सहनशीलता के भी गुण सम्मिलित किए गए हैं। कृषि तथा पशुचिकित्सा (Veterinary) शिक्षा हेतु नए कॉलेजों की स्थापना, सीटों में वृद्धि, अन्य अनुभवजन्य स्थापित इकाइयों की शुरूआत तथा छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति (Stipends) राशि में भी वृद्धि की गई है। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों तथा किसानों के बीच अधिक समन्वय हेतु ''फार्मर फर्स्ट'' ''मेरा गांव मेरा गौरव'' तथा ''आर्या'' जैसी योजनाओं का सृजन किया गया है।

फसलों के साथ–साथ बागवानी (Horticulture) तथा कृषि संबद्ध प्रक्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारतीय जलवायु के अनुकूल देशी गोवंश के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन, सेक्स सोर्टेड सीमेन जैसी तकनीक तथा डेयरी अवसंरचना के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। मात्स्यिकी क्षेत्र में नीली क्रांति (Blue Revolution) क्षत्रक योजना के माध्यम से अन्तर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी के विभिन्न आयामों पर तथा मत्स्य अवसंरचना विकास पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही समेकित मधुमक्खीपालन विकास केंद्र (Integrated Beekeeping Development Centre) के माध्यम से मधुमक्खीपालन को किसानों की आय का एक अन्य स्त्रोत के रूप में विकसित किया गया है।

उपरोक्त योजनाओं एवं पहलुओं की सार्थकता तथा सफलता इस बात से परिलक्षित होती है कि वर्ष 2017–18

में अब तक का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 284.83 मिलियन टन, रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन 306.82 मिलियन टन, दलहन के उत्पादन में 40% की बढ़त के साथ 25.23 मिलियन टन पहुंच गया है।

कृषि मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्धारित किए गए सात सूत्रीय रणनीति जिनकी सिफारिश डॉ. स्वामीनाथन जी ने भी की थी जिसका क्रियान्वयन मोदी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है– जैसे ''प्रति बूंद अधिक फसल'' प्रत्येक खेत की मिट्टी गुणवत्ता के आधार पर पोषक तत्वों का प्रावधान, कटाई के बाद फसल नुकसान को रोकने के लिए गोदामों और कोल्डचेन में निवेश, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय कृषि बाजार– ई–नाम, जोखिम न्यूनीकरण के लिए फसल बीमा, कृषि संबद्ध क्षेत्र यथा डेयरी–पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, मेढ़ पर पेड़, बागवानी तथा मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना प्राथमिकता है।

कृषि उपज के प्रसंस्करण हेतु टॉप्स योजना के माध्यम से आलू, प्याज तथा टमाटर के क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। नए एग्री स्टार्ट–अप, एग्री एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दिया जाएगा। 22 हजार ग्रामीण हाटों के अवसंरचना हेतु भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भण्डारण तथा वेयरहाउस प्रक्षेत्र को गति प्रदान की जाएगी तथा

किसानों को प्राइस एवं डिमांड फोरकास्टिंग के आधार पर किस फसल को उगाने में किसानों को फायदा मिलेगा, पर विशेष बल दिया जाएगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार के इन प्रयासों से किसानों की आमदनी को वर्ष 2022 तक दोगुना करने में सफल होंगे।

राधा मोहन सिंह
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री,
भारत सरकार

बजट 2019
किसान का बजट

"सबका साथ सबका विकास" के मूलमंत्र पर सतत रूप से कार्यरत वर्तमान सरकार ने कृषि क्षेत्र के चहुमुखी विकास और किसानों की आय बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्ध ता को 2019 के बजट के साथ एक बार पुनः उजागर कर दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन यूपीए सरकार के पांच वर्ष 2009–14 में रू. 1,21,082 करोड़ था जो कि मोदी सरकार के 5 वर्षों 2014–19 में 74.5 प्रतिशत बढ़कर 2,11,694 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–20 में कृषि बजट रू. 1,41,174.37 करोड़ है जो यूपीए सरकार के 5 वर्षों 2009–14 के बजटीय प्रावधान रू. 1,21,082 करोड़ से भी 16.6 प्रतिशत अधिक है। साथ हीं हजारो करोड़ रूपये के कॉर्पस फण्ड भी बनाये गए है। "कृषि उत्पादों के भंडारों के साथ साथ किसान की जेब भी भरे एवं उनकी आय भी बढ़े" वाली अपनी सोच के अनुरूप, सरकार ने भारतीय इतिहास पटल पर एक नया अध्याय रचते हुए बजट 2019 में किसानों के लिए इनकम सपोर्ट के प्रावधान के साथ अन्य

कई प्रावधान करते हुए ग्रामीण भारत पर सबसे ज्यादा फोकस किया है।

देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एवं एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार ने शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ 75 हजार करोड़ रु. के प्रस्तावित बजट से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) नामक योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है ताकि छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के भू–अभिलेखों में सम्मिलित रूप से दो हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व है, को उनके निवेश और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता प्रदान की जा सके, जिससे वो अपनी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात तथा संभावित आय प्राप्त होने से पहले की स्थिति में होने वाले व्ययों की आपूर्ति कर सके। इस योजना के अंतर्गत, लघु व सीमांत परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रु. की सहायता सीधे चार–चार माह की तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसानों को अपने छोटे छोटे खर्चों की आपूर्ति के लिए साहूकारों

के चंगुल में पड़ने से भी बचाया जा सके और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता भी सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए भी सक्षम बनाएगी और वो इस समर्पित सहायता के साथ साथ अन्य योजनाओं का लाभ उठाते हुए एक सम्मानजनक जीवनयापन के मार्ग पर आगे बढ़ सकेंगे।

इस सम्मानजनक जीवनयापन की शुरुआत तुरन्त प्रभाव से होगी क्योंकि इस योजना को 01.12.2018 से ही लागू करने का ऐलान किया गया है तथा पात्र किसान परिवारों को यह लाभ इसी प्रभाव से देय होगा। इसी लिए वर्ष 2018–19 के पूरक माँगों में 20 हजार करोड़ रु. का प्रस्ताव किया गया है। 01.12.2018 से 31.03.2019 की अवधि की प्रथम किशत में पात्र परिवारों के चिन्हीकरण के तत्काल बाद इसी वित्तीय वर्ष में ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। वर्ष 2019–20 से लाभ का हस्तांतरण आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।

मोदी सरकार द्वारा देश में पहली बार देशी गौपशु और भैंसपालन को बढ़ावा देने, उनके आनुवांशिक संसाधनों

को वैज्ञानिक और समग्र रूप से संरक्षित करने तथा अद्यतन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए भारतीय बोवाईनों की उत्पादकता में सतत् वृद्धि हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारम्भ किया गया है। इसकी अहमीयतता के मद्देनज़र वर्ष 2018–19 के रु. 250 करोड़ के बजट को बढ़ाकर रु. 750 करोड़ कर दिया गया है। अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब "राष्ट्रीय कामधेनु आयोग" के निर्माण का फैसला लिया है जो एक स्वतंत्र निकाय होगा। गौसंसाधनों के सतत् आनुवांशिक उनयन को बढ़ाने तथा गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु, नीतिगत ढ़ांचा एवं कार्यकारी वातावरण प्रदान करते हुए यह आयोग दिशानिर्देश जारी करेगा जिससे फार्म आय की बढ़ोत्तरी, डेयरी किसानों की गुणवत्तापूर्ण जीवन और देशी गायों के उन्नत संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा मिल सके। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग देश में गायों और गौवंशों के कल्याण के कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को भी देखेगा तथा गौवंशों की रक्षा में शामिल गौशालाओं, गौसदनों तथा नए संसाधनों के कार्य में सलाह देने के साथ–साथ देश में डेयरी सहकारिताओं, पशु विकास एजेंसियों, किसान उत्पादक कंपनियों और

डेयरी उद्योगों के साथ समन्वय से डेयरी किसान के हितों को बढ़ावा देगा।

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो कि विश्व उत्पादन का 6.3% मछली उत्पादन करता है। मत्स्य पालन का जीडीपी में लगभग 1% का योगदान है तथा यह लगभग 1.5 करोड़ लोगों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। मत्स्य पालन क्षेत्र के व्यापक योगदान और विकास की संभावनाओं को देखते हुए मोदी सरकार ने विद्यमान पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग से स्वतंत्र ढांचे और स्टाफ के साथ एक नया एवं स्वतंत्र मत्स्यपालन विभाग बनाने का निर्णय लिया है।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भारत सरकार कृषि प्रक्षेत्र से जुड़े किसानों को सस्ते दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती हैं। इससे न सिर्फ कृषि उत्पादों को बढ़ाने में मदद मिलती है वरन् कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। अब पशुपालन एवं मत्स्यपालन की गतिविधियों से अधिक किसानों के जुड़ने के कारण वर्ष 2019 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा की उपलब्धता को पशुपालन तथा मत्स्य पालन के लिए भी सुनिश्चित करने बारे निर्णय लिया गया है और इसी

अनुरूप पूर्व से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 4% ब्याज दर पर 3 लाख की ऋण सीमा के तहत पशुपालन तथा मत्स्य पालन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। जिन किसानों के पास खेती में उपयोगी संसाधनों के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए 2 लाख तक का नया किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन व मत्स्यपालन गतिविधियों के लिए बनाने का प्रावधान किया गया है। अर्थात् अब पशुपालकों तथा मछुआरों को भी 4% की रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

वर्तमान में किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की परिस्थिति में किसानों को मात्र एक वर्ष की अवधि के लिए 2% ऋण छूट का लाभ मिलता है। प्राकृतिक आपदा में अधिकतम ऋण छूट लाभ देते हुए, किसान हित में मोदी सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए अब कृषि ऋण को 3 से 5 वर्षों के लिए पुनर्गठन की अवधि के लिए न सिर्फ 2% ऋण छूट वरन् समय भुगतान (Timely Payment) करने पर 3% अतिरिक्त ऋण छूट का लाभ भी दिया जाएगा।

वर्तमान में लगभग 7 करोड़ सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड हैं जिसका अर्थ है कि लगभग 50% किसान आज भी

संस्थागत ऋण प्रणाली से बाहर हैं। भारत सरकार इन सभी किसानों को संस्थागत ऋण प्रक्रिया के तहत लाने के लिए कटिबद्ध है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार तथा सभी बैंकों के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड के निर्माण हेतु सघन अभियान को प्रारम्भ करेगी।

इस अभियान के अंतर्गत ऐसे सभी इच्छुक किसान जो कृषि साथ–साथ पशुपालन अथवा मत्स्यपालन के व्यवसाय से जुड़े हैं, एक सरलीकृत प्रार्थना–पत्र भरकर किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन बैंकों को दे सकेंगे। प्रार्थना–पत्र के साथ फोटो के अतिरिक्त उन्हें मात्र तीन दस्तावेज– भौमिक अधिकारों संबंधित अभिलेख, पहचान–पत्र तथा निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही देना होगा। इस संदर्भ में वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उनके अधीन सभी वित्तीय संस्थाओं को पृथक से आदेश निर्गत कर दिए गए है। राज्य सरकारों को भी यह अनुरोध किया गया है कि वे एक रणनीति के तहत ग्रामवार अथवा बैंक शाखावार कैंप आयोजित करें जिसमें फील्ड स्तरीय कर्मचारी प्रार्थना–पत्र को भराने तथा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने में सहायता करेंगे।

अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड को बनाने में किसानों को प्रक्रिया, दस्तावेज, निरीक्षण तथा खाता–बही से संबंधित विभिन्न प्रकार के शुल्क देने पड़ते थे। इंडियन बैंकर्स एशोसिएसन द्वारा भी किसान हित में यह निर्णय लिया है कि तीन लाख तक के ऋण सीमा तक उपरोक्त शुल्क नहीं लिए जाएंगें।

इन सब प्रावधानों और 2019 के बजट से स्पष्ट है कि देश के किसान को वास्तविक अन्न–दाता मानते हुए सरकार ने उनके विकास और आय दोनों का ही पूरा ध्यान रखा है। खाद्यान्नों की बेहतर कीमतें तय करने के साथ उनके लिए आय सहायता भी तय की है, जो आर्थिक सुरक्षा एवं उनकी वास्तविक आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने में विशेष रूप से मददगार होगी।

Times of India
Dated: 06.08.2018

कृषि मिशन

मोदी सरकार किस प्रकार से कृषि एवं किसानों के भविष्य को नया स्वरूप प्रदान कर रही है?

– एमएस स्वामीनाथन

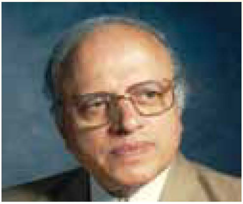

स्वतंत्र भारत तथा उप–निवेशित भारत के इतिहास में पहली बार वर्ष 2004 में तत्कालीन कृषि मंत्री श्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य किसान परिवारों की समस्याओं की समीक्षा करना तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने के साथ–साथ युवा पीढ़ी के लिए आकर्षक बनाने के वास्ते विभिन्न तौर–तरीकों का सुझाव देना था।

वर्ष 2006 में प्रस्तुत इस आयोग की सिफारिश में न केवल कृषि के उन्नयन के लिए सुझाव दिए गए थे बल्कि किसानों के परिवारों के आर्थिक हित के लिए भी सुझाव दिए गए थे। इस आयोग ने किसानों को न्यूनतम सकल

आय प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने के वास्ते किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य स्थापित किया था। इसके साथ ही इस सिफारिश में कृषिगत प्रगति के आकलन के मानदंडों में किसानों की सकल आय में सुधार को शामिल किया गया था।

इस आयोग द्वारा निर्धारित अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों में– सभी प्रकार की कृषि संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में मानवीय एवं लिंग के विविध आयामों के केंद्र में रखना, सतत ग्रामीण आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना, भूमि सुधार संबंधी अधरी कार्यसूची को पूरा करना, व्यापक संपतति एवं संपतति एवं मछली पालन (एक्वेरियम) सुधार करना, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास करना तथा किसानों के लिए सहायक सेवा का सृजन करना शामिल था।

इसके अतिरिक्त, संरक्षण में आर्थिक हितों का सृजन करते हुए उत्पादकता, लाभकारिता तथा बृहद कृषि प्रणाली की सततता के लिए भूमि, जल, जैव विविधता एवं आवश्यक जलवायु संबंधी संसाधनों को संरक्षित कर उनमें सुधार करने के लिए भी सिफारिश की गई थी। फसलों, खेतिहर जानवरों, मछली एवं वन वृक्षों की जैव– सुरक्षा को सुदृढ़ करने से किसानों के परिवारों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा और उनके कार्य की रक्षा हो सकेगी तथा इसके साथ ही

देश का व्यापार भी सुरक्षित रह सकेगा। इसी प्रकार ग्रामीण भारत में समुदाय केंद्रित खाद्य, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने से प्रत्येक बच्चे, महिला एवं आदमी को पौषणिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।

खेती में युवाओं को आकर्षित करने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग ने उत्पादन एवं फसल कटाई पश्चात के चरणों में लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकार एवं आर्थिक स्वायत्ता प्रदान कर बौद्धिक आधार पर तथा आर्थिक स्तर पर युवाओं को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया था। कृषि पाठ्यक्रम के नवीनीकरण एवं शिक्षा पद्धति के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया था ताकि कृषि के प्रत्येक स्वरूप को एवं गृह विज्ञान के स्नातक को एक उद्यमी बनाये जाने के साथ–साथ कृषि शिक्षा को जेंडर (लिंग) अनुकूल (सेंस्टीव) बनाया जाए।

अंततः जैव प्रौद्योगिकी और आईसीटी के माध्यम से सतत कृषि, उत्पाद एवं प्रसंस्करण के लिए आवश्यक आदानों के उत्पादन व आपूर्ति हेतु भारत को ग्लोबल आउटसोर्सिंग बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

य़द्यपि एनसीएफ की रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई थी परंतु जब तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी, तब तक इस पर बहुत कम काम हुआ था। सौभाग्यवश पिछले 4 वर्षों के दौरान

किसानों की स्थिति और आय में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि प्रगति के उपाय के रूप में किसानों के कल्याण पर जोर दिया जाना है। सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पादप स्वास्थ्य का आधार मृदा स्वास्थ्य है और मानव स्वास्थ्य का आधार पादप स्वास्थ्य है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए बजटीय और गैर–बजटीय दोनों संसाधन आंवटित किए गए हैं। पशुओं की देसी नस्ल के संरक्षण और सतत उपयोग को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय जैव–विविधता सम्मेलन का भी शुभारंभ किया था।

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि मंडी को प्रोत्साहन देने से विभिन्न कृषि मंडियों को एकजुट करने में मदद मिल रही है। इसी प्रकार ग्रामीण कृषि मंडियों का सृजन खुदरा और फुटकर दोनों उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री करने का अवसर मिलेगा। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कृषि क्षेत्र के लिए अधिक संस्थागत ऋण के लिए इलेक्ट्रॉनिक पराक्राम्य

वेयरहाउस रसीद प्रणाली द्वारा समर्थित कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2007 और कृषि उपज एवं पशुधन संविदा कृषि सेवा अधिनियम, 2018 को लागू किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि एनसीएफ की सिफारिशों और अधिक फसलों की एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के आधार पर एमएसपी निर्धारित किया जाए। पीडीएस, मिड डे मील एवं आईसीडीएस सहित कल्याण कार्यक्रमों में प्रोटीनयुक्त दलहन एवं न्यूट्री रिच मिलेट (कदन्न) को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है।

मधुमक्खी, मशरूम की खेती, बांस उत्पादन, कृषि वानिकी, वर्मी कम्पोस्टिंग व कृषि प्रसंस्करण जैसे कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि कृषि परिवारों के लिए अतिरिक्त नौकरियां व आय सृजित की जा सके। माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि हमें ऐसे प्रणालियां विकसित करनी चाहिए जिनके द्वारा किसानों की आय को पांच वर्ष के भीतर दोगुना किया जा सके और इसके साथ ही जारी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने, डेयरी सहकारी समितियों की अवसंरचना को आधुनिक बनाने और अंतर्देशीय एवं समुद्री (मैरीन) एक्वाकल्चर को मजबूत बनाने के लिए कई कॉर्पस फंड स्थापित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित

करने के लिए एनसीएफ की सिफारिश के आधार पर लाभकारी मूल्य की हाल ही में की गई घोषणा महत्वपूर्ण कदम है। इस बात पर बल देने के लिए सरकार ने अपनी अधिसूचना में यह सुनिश्चित किया है कि खरीफ, 2018 से अधिसूचित फसलों का एमएसपी उत्पादन की लागत का कम से कम 150 प्रतिशत होगा और एमएसपी मोटे अनाज के लिए 150–200 प्रतिशत होगा।

चूंकि किसान आंदोलन अभी भी जारी है, उनकी प्रमुख मांग ऋण माफी एवं एमएसपी पर एनसीएफ की सिफारिश का कार्यान्वयन करवाना है। इन दोनों समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है और उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

ये जय किसान की संकल्पना को पूरा करने के लिए किए गए केवल कुछ उपाय हैं। यदि राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा उपर्युक्त सभी स्कीमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए, कृषि एवं किसानों के भविष्य को इस प्रकार बनाया जा सकता है जिससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में भारत को अग्रणी बनने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने 9000 करोड़ रुपए के तीन वर्ष के बजट से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत की है। उन्होंने ग्रामीण भारत के प्रमुख उद्योग के रूप में कृषि पर बल दिया और उन्होंने कृषि का आय का स्रोत एवं देश को गौरवमय बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया।

साफ नीयत–सही विकास

मोदी सरकार–गांव, गरीब, किसान को समर्पित

1. Finance Commission

13th (2010-15) Finance Commission report	14th (2015-20) Finance Commission report
Rs. 14,56,052 Crore	Rs. 44,60,513 Crores

2. SDRF आवंटन

क्षेत्र	यूपीए सरकार	मोदी सरकार	वृद्धि
SDRF आवंटन की राशि	वर्ष 2010–15 में आवंटन रु. 33,580.93 करोड़	वर्ष 2015–20 में आवंटन रु. 61,220.00 करोड़	82.30 %

3. NDRF आवंटन

कृषि से जुड़ी चार प्राकृतिक आपदाओं में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF) द्वारा अनुमोदित सहायता			
वर्ष (2010–14)	रु. 12,516.20 करोड़	वर्ष (2014–18)	रु. 32,208.29 करोड़

4. बजट

क्षेत्र	यूपीए सरकार	मोदी सरकार	वृद्धि
बजट (5 साल)	2009–14 के लिए 1,21,082 करोड़	2014–19 के लिए 2,11,694 करोड़	74%

5. कार्पस फ़ंड

(i) सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए रु 5,000 करोड़।

(ii) डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना कोष (DIDF) के लिए रु 10,881 करोड़।

(iii) लॉग टर्म इरीगेशन फंड रु 40,000 करोड़।

(iv) कृषि बाजार अवसंरचना विकास कोष रु 2000 करोड़।

(v) मत्स्य एवं जलीय विज्ञान अवसंरचना विकास कोष रु 7,550 करोड़।

(vi) पशुपालन अवसंरचना विकास कोष रु 2,450 करोड़।

6. तुलनात्मक उपलब्धियां

योजना	वर्ष 2013–14	वर्ष 2018–19	वृद्धि
फसल बीमा योजना	2,151 करोड़	13,000 करोड़	6 गुना
मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा प्रबंधन	30 करोड़	400 करोड़	13.5 गुना
कृषि यंत्रीकरण	58 करोड़	1,165 करोड़	20 गुना
ड्रिप तथा स्प्रिंकलर–कृषि सिंचाई योजना	1,693 करोड़	2954.69 करोड़	1.5 गुना
एग्रिकल्चर मार्केट पर इंटेग्रेटेड स्कीम	720 करोड़	1,050 करोड़	1.5 गुना
बीज प्रक्षेत्र	239 करोड़	332 करोड़	1.5 गुना
डेयरी प्रक्षेत्र	1031 करोड़	1420 करोड़	1.5 गुना
मात्स्यिकी	176 करोड़	642 करोड़	3.5 गुना

क्षेत्र	यूपीए सरकार	मोदी सरकार	वृद्धि
खाद्यान्न उत्पादन	वर्ष 2010–15 का औसत वार्षिक उत्पादन 255.59 मिलियन टन।	2017–18 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्पादन 284.83 मिलियन टन।	11.44%

बागवानी उत्पादन	वर्ष 2010–14 के औसत वार्षिक उत्पादन 261मिलियन टन।	2017–18 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्पादन 306.82 मिलियन टन।	17.55%
दलहन का उत्पादन	वर्ष 2010–15 का औसत उत्पादन 18.01 मिलियन टन।	2017–18 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्पादन 25.23 मिलियन टन।	40.09%
मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हैल्थ – फर्टिलिटी (बजट आवंटन)	93.92 करोड़ (2009–14)	Rs- 868.67 करोड़ (2014–19)	8 गुना से अधिक
सॉयल हैल्थ कार्ड	एक मानक के आधार पर – 0 सॉयल हैल्थ कार्ड वितरित।	एक मानक के आधार पर– प्रथम चरण (2015–17) में 10.73 करोड़ द्वितीय चरण (2017–19) में 7.79 करोड़।	–
मृदा परीक्षण प्रयोगशाला	2009–14 में 171 प्रयोगशालाएं स्थापित।	2014–19 में 10825 प्रयोगशालाएं (8752 मिनी लैब सहित) स्थापित की गयी है।	–
सूक्ष्म सिंचाई के लिए विमुक्त राशि	2010–11 से 2013–14 में रुपए 4698.64 करोड़ विमुक्त किये गए।	2014–15 से 2017–18 में रुपए 7330.6 करोड़ विमुक्त किये गए।	56.01%

सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर क्षेत्र	2010–11 से 2013–14 में 23.03 लाख हेक्टेयर।	2014–15 से 2017–18 में 28.84 लाख हेक्टेयर।	20.14%
जैविक खेती के विकास के लिए राशि	0 (वर्ष 2015 से पूर्व)	वर्ष 2015–19 मे रु. 786.80 करोड़। (4 साल)	
जैविक खेती का विकास	कोई राष्ट्रव्यापी योजना नहीं।	2015 में परम्परागत कृषि विकास योजना एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए जैविक वेल्यू चेन विकास मिशन प्रारम्भ।	
जैविक खेती के विकास के लिए क्लस्टर निर्माण	0 क्लस्टर (2015 से पूर्व)	परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015 –19 में 11,891 क्लस्टर का निर्माण किया गया एवं जैविक वैल्यू चेन विकास मिशन के अंतर्गत 3340 एफआईजी का गठन किया गया।	
जैविक खेती के अंतर्गत कवर एरिया (2015–19)	0 (वर्ष 2015 से पूर्व)	23.02 लाख हेक्टेयर एरिया कवर। (4 साल में)	–
कृषि यंत्रीकरण (आवंटित राशि)	कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के लिए वर्ष 2010–14 में रू. 151.4 करोड़।	कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के लिए वर्ष 2014–18 में रू. 1553.88 करोड़ का आवंटन।	10 गुना

कृषि यंत्रीकरण (वितरित मशीनें)	2010–14 में 10,12,904 मशीनें वितरित।	2014–18 में (31 सितम्बर तक) कुल 27,79,184 मशीनें वितरित।	174%
राष्ट्रीय कृषि बाजार	2014 से पूर्व राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) की दिशा में कोई कदम नहीं।	2014 के बाद 585 विनियमित मण्डियां ई–नाम से जोड़ दी गई। इसके अलावा, अगले दो वर्षों, 2018–20 तक 415 मण्डियों को जोड़ने का लक्ष्य।	–
कृषि ऋण प्रवाह	2013–14 में कृषि ऋण प्रवाह 7 लाख करोड़।	2018–19 में कृषि ऋण प्रवाह 11 लाख करोड़।	57%
कृषि ऋण के लिए ब्याज सहायता	2013–14 में कृषि ब्याज सहायता रूपये 6,000 करोड़।	2018–19 में कृषि ब्याज सहायता रूपये 15,000 करोड़।	150%
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कृषि सहकारिताओं को ऋण एवं ब्याज सहायता	वर्ष 2009–2014 में मात्र 23635.22 करोड़ रुपए की राशि निर्गत।	वर्ष 2014–2019 (29.01.2019) तक 73051.44 करोड़ रूपये की राशि निर्गत।	225.79%
भूमिहीन किसानों के लिए Joint Liabilities Groups का निर्माण	2004–14 के यूपीए सरकार के 10 वर्षों में 6.72 लाख JLG।	पिछले चार वर्षों, 2014–18 में 27.49 लाख JLG।	300%

किसान उत्पादक संगठन (FPO) का निर्माण (SFAC द्वारा)	2004–14 के यूपीए सरकार के 10 वर्षों में 223 FPO।	पिछले चार वर्षों, 2014–18 में 546 FPO।	144%
राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) का औसतन कारोबार	2004–14 यूपीए सरकार के 10 वर्षों में एनएससी का औसतन कारोबार रूपये 403.99 करोड़।	पिछले 4 वर्षों 2014–18 में औसतन कारोबार रूपये 842.25 करोड़।	108.45 %
राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की कृषि योग्य भूमि	2004–14 के दौरान एनएससी की कृषि योग्य भूमि औसतन 88.6 हेक्टेयर।	पिछले 4 वर्षों 2014–18 में एनएससी की कृषि योग्य भूमि औसतन 647.75 हेक्टेयर।	600%
नारियल विकास बोर्ड	वर्ष 2010–14 के दौरान 9,561 हेक्टेयर क्षेत्र को नारियल उत्पादन क्षेत्र में लाया गया।	चार वर्षों 2014–18 के दौरान 13,117 हेक्टेयर क्षेत्र को नारियल उत्पादन क्षेत्र में लाया गया।	37%
नारियल विकास बोर्ड (नारियल प्रसंस्करण इकाईयां की स्थापना)	नारियल के विविध मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु 10 वर्षों 2004–14 में मात्र 213 इकाईयां स्थापित की गई थी।	चार वर्षों 2014–18 में 345 इकाईयां स्थापित की गई हैं।	61%

7. आयात शुल्क:

आयात शुल्क	काबुली चना 0 से 60%, पीली मटर पर 0 से 50%, मसूर पर 0 से 30%, तूर पर 0 से 10% मात्रात्मक प्रतिवृद्धि भी लगाई गई।
तिलहन	पाम ऑयल खाद तेल के आयात का 60% है। 2015 में कच्चा तेल पर आयात शुल्क 12.5% आज 44%, परिस्कृत पाम ऑयल पर भी आयात शुल्क 20% से 54% किया गया।
कृषि व्यापार	कृषि व्यापार निर्यात मूल्य में वर्ष 2010–14 की तुलना में वर्ष 2014–18 में मेरीन प्रोडेक्ट 95%, राइस (Other than Basmati) 84%, फ्रेश फ्रूट्स 77%, फ्रेश वेजीटेबल 43%, स्पाइसेस (मसाला) 38%, केशु (काजू) 33%, बासमती चावल 31% की वृद्धि दर्ज की गई है।

तूर दाल के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध दो लाख टन प्रतिवर्ष लगाया गया। मूंग उड़द दालों पर भी प्रतिवर्ष 1.5 लाख टन लगाया गया है।

8. PSS योजना

PSS योजना			
क्षेत्र	यूपीए सरकार	मोदी सरकार	वृद्धि
PSS योजना से दलहन–तिलहन की खरीद	2010–11 से 2013–14 तक कुल 7.24 लाख मीट्रिक टन। (चार साल)	2014–15 से 16 जनवरी, 2019 तक कुल 88.34 लाख मीट्रिक टन।	12 गुना
PSF योजना से दलहन की खरीद 3 साल (2015–18)	–	16.71 लाख मीट्रिक टन	

PSS योजना			
क्षेत्र	यूपीए सरकार	मोदी सरकार	वृद्धि
PSS योजना के तहत खरीद के लिए बजट प्रावधान	2010–11 से 2013–14 तक रू. 300 करोड़। (चार साल)	केवल दो वर्षों, 2018–19 एवं 2019–20 में रू. 15,053 करोड़। (दो साल)	50 गुना
PSS योजना के तहत खरीद के लिए सरकारी गारंटी	2010–11 से 2013–14 के लिए सरकारी गारंटी रू.2500 करोड़।	2014–15 से 2019–20 के लिए सरकारी गारंटी रू. 47,250 करोड़।	19 गुना
वस्त्र मंत्रालय द्वारा कपास की खरीद	वर्ष 2010–11 से 2013–14 के बीच वस्त्र मंत्रालय द्वारा कुल 23.06 लाख गांठें कपास की खरीद की गई थी।	मोदी सरकार के चार वर्ष 2014–15 से 2017–18 के बीच कुल 99.30 लाख गांठें कपास की खरीद की गई।	325 %
वस्त्र मंत्रालय द्वारा जूट की खरीद	वर्ष 2010–11 से 2013–14 के बीच वस्त्र मंत्रालय द्वारा कुल 4,12,680 क्विंटल जूट की खरीद की गई थी।	मोदी सरकार के चार वर्ष 2014–15 से 2017–18 के बीच कुल 11,25,266 क्विंटल जूट की खरीद की गई।	172 %

9. खरीफ 2013–14, 2017–18, 2018–19 न्यूनतम समर्थन मूल्य रिपोर्ट

खरीफ 2018–19 लागत*, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और लागत पर लाभ

जींस		2013–14			2017–18			2018–19		
क्र. सं.	खरीफ फसलें	लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	लागत पर प्रतिशत लाभ	लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	लागत पर प्रतिशत लाभ	लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	लागत पर प्रतिशत लाभ
1	धान (सामान्य)	961	1310	36.32	1117	1550	38.76	1166	1750	50.09
	(ग्रेड अ)	–	1345	–	–	1590	–	–	1770	–
2	ज्वार (हाइब्रिड)	1269	1500	18.20	1556	1700	9.25	1619	2430	50.09
3	बाजरा	768	1250	62.76	949	1425	50.16	990	1950	96.97
4	मक्का	860	1310	52.33	1044	1425	36.49	1131	1700	50.31
5	रागी	1338	1500	12.11	1861	1900	2.10	1931	2897	50.01
6	अरहर (तुर)	3090	4300	39.16	3318	5450	64.26	3432	5675	65.36
7	मूंग	3775	4500	19.21	4286	5575	30.07	4650	6975	50.00
8	उड़द	3144	4300	36.77	3265	5400	65.39	3438	5600	62.89

जींस		2013–14			2017–18			2018–19		
क्र. सं.	खरीफ फसलें	लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	लागत पर प्रतिशत लाभ	लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	लागत पर प्रतिशत लाभ	लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	लागत पर प्रतिशत लाभ
9	कपास (मध्यम रेशा)	2485	3700	48.89	3276	4020	22.71	3433	5150	60.01
	(लम्बा रेशा)		4000			4320			5450	
10	मूंगफली छिलका सहित	2720	4000	47.06	3159	4450	40.87	3260	4890	50.00
11	सूरजमुखी बीज	3000	3700	23.33	3481	4100	17.78	3592	5388	50.01
12	सोयाबीन	1692	2560	51.30	2121	3050	43.80	2266	3399	50.01
13	तिल	2919	4500	54.16	4067	5300	30.32	4166	6249	50.01
14	रामतिल	2279	3500	53.58	3912	4050	3.53	3918	5877	50.01

*इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल है जेसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टा भूमि के लिए अदा किया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार जैसे भौतिक आदानों के उपयोग पर व्यय, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पम्प सेटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य।

10. कृषि विपणन

- केंद्र सरकार कृषि बाजार में सुधार पर ज़ोर दे रही है। तीन सुधारों के साथ अप्रैल 2016 में ई–राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना की शुरूआत की गई है जिसमें अभी तक 585 मंडियों को जोड़ा जा चुका हैं। कई मंडियों में ऑनलाइन कृषि बाज़ार ट्रेडिग भी शुरू हो चुकी है। वर्ष 2019–20 तक अतिरिक्त 415 मंडियों (वर्ष 2018–19 में 200 तथा 2019–20 में 215) को ई–नाम के तहत जोड़ा जाना है। दिनांक 29 जनवरी 2019 तक ईनाम से जोड़ी गयी मंडियों में कुल 1,46,18,767 किसान एवं 1,21,375 व्यापारी पंजीकृत हुए हैं एवं गत 3 वर्षो में ईनाम से रुपए 61,094 करोड़ का कुल 2.32 करोड़ टन विपणन हुआ है।
- बजट 2018–19 में रु 2000 करोड़ का Agri&Market Development Fund घोषित किया है। जो कि कृषि विपणन में खुदरा बाजार (Retail Market) की अहमियतता दर्शाता है। इन बाजारों को GRAM (Gramin Retail Agriculture Market) का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से 22,000 ग्रामीण हाट एवं 585 APMC मण्ड़ियों की आधारभूत संरचना का विकास हो सकेगा।
- पूरे भारत वर्ष में टमाटर, प्याज, आलू का उपभोग साल भर किया जाता है। विगत 70 वर्षों में किसान और उपभोक्ता दोनों को ही नुकसान उठाने/झेलने पड़े हैं। मोदी सरकार के इस बजट में पहली बार "Operation Green" के नाम से नई पहल प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है जिससे

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य तथा उपभोक्ताओं को ये उत्पाद वाजिब दामों में उपलब्ध हो सकेंगे। इस कार्य के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

- मॉडल APLM एक्ट 2017:
  - सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में बाजार सुधार की दिशा में एक मॉडल APLM, एक्ट 2017 राज्यों को जारी किया गया है जिसमें निजी क्षेत्र में मंडी विपणन मंडीयार्ड के बाहर बनाने का प्रावधान है। कृषि उत्पाद और पशुपालन विपणन (सवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम 2017 नामक नये मॉडल की निर्मुक्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने के प्रयोजनार्थ 24 अप्रैल, 2017 को की गई थी। इसका अंगीकरण पूर्ववर्ती मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 पर पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद किया गया था तथा इस क्षेत्र में कृषि विपणन क्षेत्र से संबंधित अपेक्षित उत्तरोत्तर सुधारों को शामिल करने की आवश्यकता भी महसूस की गई थी। मॉडल एपीएलएम अधिनियम 2017 के उपबंधों में निजी मण्डी संस्थापन, प्रत्यक्ष विपणन, किसान उपभोक्ता मण्डी, विशेष जिंस मण्डी, वेयर हाउसों/साईलो/शीत भंडारगृहों अथवा ऐसी ही अवसंरचनाओं को उप मंडी परिसरों के रूप में घोषित करना शामिल है। मॉडल अधिनियम विभिन्न राज्यों द्वारा अंगीकरण की विभिन्न अवस्थाओं में है।

- Model Agricultural Land Leasing Act, 2016
    - कृषि सुधारों के संदर्भ में यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से न सिर्फ भू–धारकों वरन लीज प्राप्तकर्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है।
    - इस एक्ट के माध्यम से भू–धारक वैधानिक रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आपसी सहमति से भूमि लीज पर दे सकते हैं। यहां यह भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में लीज प्राप्तकर्ता का कृषि भूमि पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
    - लीज प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से यह ध्यान दिया गया है कि उसे संस्थागत ऋण, इंश्योरेंस तथा आपदा राहत राशि उपलब्ध हों, जिससे उनके द्वारा अधिक–से–अधिक कृषि पर निवेश हो सके।
- भू–धारक एवं लीज प्राप्तकर्ता के बीच विवाद को सुलझाने के लिए सिविल कोर्ट के इतर Special Land Tribunal तथा मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है।
- Model Contract Farming and Services Act, 2018
    - भारत सरकार द्वारा पहली बार देश के अन्नदाता किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है।
    - इस एक्ट के माध्यम से जहां एक तरफ कृषि जींसों का अच्छा दाम किसानों को मिल सकेगा, वहीं फसल कटाई उपरांत नुकसानों को कम किया जा सकेगा।

साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे।

- किसान की भूमि/परिसर में कोई स्थायी संरचना विकसित नहीं की जा सकती है।
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों को संगठित किया जा सके।
- यदि किसानों द्वारा अधिकृत किया गया तो एफपीओ/एफपीसी एक अनुबंध पार्टी हो सकती है।
- संविदा खेती प्रायोजक को भूमि के अधिकार, शीर्षक, स्वोमित्व का कब्जे का हस्तांतरण एवं विमुख करने का अधिकार नहीं होगा।
- संविदा के अनुसार एक या अधिक कृषि उपज, पशुधन या अनुबंध कृषि उपज के उत्पाद की पूरी मात्रा पूर्व–सहमत दर पर खरीद सुनिश्चित करना है।
- गांव/पंचायत स्तर पर संविदा खेती और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए संविदा खेती सुविधा समूह (सीएफएफजी) का प्रावधान किया गया है।
- विवाद निपटारण का प्रावधान जहां तक संभव है सबसे निचले स्तर पर किया गया है ताकि वहां तक पहुंच आसान हो एवं विवादों का निपटारण जल्दी–से–जल्दी किया जा सके।

11. कृषि संबद्ध क्षेत्र की उपलब्धियां:

दूध उत्पादन	वर्ष 2010–14 के औसत वार्षिक उत्पादन 129.95 मिलियन टन।	2017–18 का दूध उत्पादन 176.35 मिलियन टन।	35.70%
दुग्ध उत्पादन की वार्षिक दर	वर्ष 2010–14 के बीच दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 4.29% थी।	जबकि मोदी सरकार में वर्ष 2014–18 के बीच दूध उत्पादन में प्रति वर्ष 6.4% की दर से वृद्धि हुई है।	49%
डेयरी किसानों की आय में आय में वृद्धि	वर्ष 2010 –14 में डेयरी किसानों को मात्र औसतन 22 रूपये प्रति लीटर भुगतान किए जाते थे।	जबकि मोदी सरकार में वर्ष 2014 –18 में डेयरी किसानों को औसतन 28.7 रूपये प्रति लीटर भुगतान किया जा रहा है।	30.45 %
प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता	वर्ष 2013–14 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता मात्र 307 ग्राम थीं।	मोदी सरकार में वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 376 ग्राम हो गई है।	22.48 %
मछली उत्पादन	वर्ष 2010–14 का औसत वार्षिक उत्पादन 88.69 लाख टन।	वर्ष 2017–18 का मछली उत्पादन 126.14 लाख टन।	42.22%
मात्स्यिकी क्षेत्र पर औसत वार्षिक खर्चा	यूपीए सरकार के 10 वर्षों 2004–14 में 229.68 करोड़।	पिछले 4 वर्षों 2014–18 में 432.95 करोड़।	88.50 %

मत्स्य उत्पादों का औसत वार्षिक निर्यात	यूपीए सरकार के 10 वर्षों 2004–14 में 12710.11 करोड़।	पिछले 4 वर्षों 2014–18 में 36710.08 करोड़।	188 %
अंडा उत्पादन	वर्ष 2009–14 का औसत वार्षिक उत्पादन 66.9 बीलियन।	2017–18 का अंडा उत्पादन 95.2 बीलियन।	42%
प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता	वर्ष 2013–14 में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता मात्र 61 अंडे/वर्ष थी।	वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता 74 अंडे/वर्ष है।	21.31%
राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड (शहद उत्पादन)	वर्ष 2010–14 के औसत वार्षिक उत्पादन 71.73 मीट्रिक टन।	वर्ष 2017–18 में उत्पादन 105 मीट्रिक टन।	46.38%
कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जारी उन्नत किस्मे	वर्ष 2010–2014 की चार साल की अवधि में 448 किस्में खेती के लिए जारी की गईं थीं।	वर्ष 2014–2018 की चार साल की अवधि में 898 उन्नत किस्में खेती के लिए जारी की गईं हैं।	100. 44%

12. प्रधान मंत्री फसल बीमाः

क्षेत्र	यूपीए सरकार के अंतिम दो साल (2012–13 और 2013–14)	मोदी सरकार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना) (2016 –17 और 2017–18)	वृद्धि
बीमित गैर ऋणी किसान	0.29 करोड़	2.76 करोड़	851%

क्षेत्र	यूपीए सरकार के अंतिम दो साल (2012–13 और 2013–14)	मोदी सरकार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना) (2016 –17 और 2017–18)	वृद्धि
बीमित ऋणी किसान	6.37 करोड़	8.21 करोड़	29%
कुल बीमित किसान	6.66 करोड़	10.98 करोड़	65%
बीमित रकवा/क्षेत्र	8.72 करोड़ हेक्टेयर	10.97 करोड़ हेक्टेयर	26%
बीमित राशि	1.53 लाख करोड़ रूपए	4.11 लाख करोड़ रूपए	169%
कुल बीमा दावों का भुगतान	15.27 हजार करोड़ रूपए	35.55 हजार करोड़ रूपए*	133%
प्रति हेक्टयर बीमित राशि	17509 रूपए	37442 रूपए	114%
प्रति हेक्टयर बीमा दावो का भुगतान	1750 रूपए	3240 रूपए*	85%
प्रति लाभान्वित किसानो को दावा भुगतान	4718 रूपए	11985 रूपए*	154%

*रबी 2017–18 मौसम का बीमा दावों कि गणना की जा रही है और सभी दावा राशि शामिल नही है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा दावों की राशि मुख्यता मौसम की परिस्थितिओं और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल उत्पादन एवं क्षति के विस्तार पर निर्भर करता है। प्रायः प्रतिकूल मौसम के दौरान बीमा कम्पनियों द्वारा अधिक दावों का भुगतान किया जाता है, जबकि अनुकूल वर्षों के दौरान प्रीमियम के सापेक्ष दावों का भुगतान कम होता है। विगत तीन मौसमों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों/क्षेत्रों में किसानों

को दिए गये बीमा दावों का विवरण निम्न प्रकार है :

मौसम	राज्य	किसानों द्वारा भुगतान प्रीमियम राशि (रूपए करोड़)	कुल प्रीमियम (रूपए करोड़)	कुल अनुमानित बीमा दावा (रूपए करोड़)	कुल बीमा* दावा भुगतान (रूपए करोड़)	किसानों द्वारा भुगतान प्रीमियमके विरुद्ध अनुमानित कुल दावा का प्रतिशत (%)	कुल प्रीमियम के विरुद्ध अनुमानित दावा का प्रतिशत (%)
खरीफ 2016	केरल	3.12	8.57	17.92	17.87	575%	209%
	कर्नाटक	188.57	873.35	1171.05	1169.45	621%	134%
	आन्ध्रप्रदेश	181.12	680.80	648.28	643.81	358%	95%
रबी 2016–17	तमिलनाडू	107	1222.12	3465.44	3438.48	3239%	284%
	आन्ध्रप्रदेश	18.15	165	254.65	252.77	1380%	154%
खरीफ 2017	छत्तीसगढ़	128.18	306.78	1305.50	1305.43	1017%	425%
	हरियाणा	124.19	297.98	782.57	777.80	630%	266%
	मध्य प्रदेश	508.06	3997.94	5457.17	5437.62	1074%	156%
	उड़ीसा	145.16	835.79	1729.61	1729.61	1192%	207%

* शेष अनुमानित बीमा दावों का भुगतान सम्बंधित बीमा कंपनियों दवारा किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत देश में किसानों से वर्ष 2016–17 में एकत्रित किये गये कुल 4216.04 करोड़ रूपये के प्रीमियम धनराशि की तुलना में किसानों को 16279.25 करोड़ रूपये के दावों का भुगतान किया गया है। इसी तरह से वर्ष 2017–18 (खरीफ 2017) के दौरान किसानों से एकत्रित किये गये 3038.70 करोड़ रूपये के प्रीमियम के तुलना में 16967.92 करोड़ रूपये के दावों का भुगतान किया गया है। पिछले तीन मौसमों के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए प्रीमियम और किसानों को भुगतान किए गए दावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपये लाख में)

क्रम सं.	वर्ष/मौसम	प्राप्त किया गया सकल प्रीमियम	सकल प्रीमियम में किसानों का अंशदान	कुल दावे
1.	खरीफ– 2016	16014.93	2897.10	10514.04
2.	रबी–2016–17	5929.37	1303.75	5830.98
2.	खरीफ– 2017	18965.75	3011.67	17610.06

अच्छे मानसून के बावजूद वर्ष 2016–17 के दौरान दावा अनुपात लगभग 73 प्रतिशत रहा है और खरीफ 2017 के दौरान यह लगभग 86 प्रतिशत रहा है। इसके अलावा, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बीमा कंपनी के लिए प्रशासनिक व अन्य लागत सकल प्रीमियम के 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच होती है।

बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हाल ही में व्यापक रूप से इस योजना के परिचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i) दावों के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के 10 दिनों के बाद दावों के निपटान में होने वाले विलंब के लिए किसानों को बीमा कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 12% ब्याज दर का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया जाएगा।

ii) राज्य सरकार को बीमा कंपनियों द्वारा मांग प्रस्तुत करने/निर्धारित अंतिम तारीख के तीन महीने के बाद राजसहायता के राज्य के हिस्से की निर्मुक्ति में होने वाले विलंब के लिए 12% ब्याज दर का भुगतान करना होगा।

iii) स्थानीकृत आपदाओं के तहत बादल फटने और प्राकृतिक आग तथा फसलोपरांत हानियों के तहत ओलावृष्टि के जोखिमों को शामिल करके जोखिम कवरेज में वृद्धि।

iv) स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र जैसे जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)।

v) प्रचार और जागरूकता के लिए विस्तृत योजना इस–उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रति मौसम प्रति कंपनी सकल प्रीमियम का 0.5%।

vi) बारहमासी फसलों को शामिल करना तथा पायलट आधार पर जंगली जानवरों द्वारा की जाने वाली क्षति के लिए एडऑन कवरेज।

13. बीज की बिक्री, बुवाई और फसलों के उत्पादन के संबंध में तुलनात्मक स्थितिः

बीज बिक्री की मात्रा (लाख क्विंटल में)			
फसल	2015—16	2016—17	2017—18%
गेहूँ	95.83	124.87	139.3
सभी फसलें	304.04*	348.58*	352.01*
रबी सीजन में की गई बुवाई (लाख हेक्टेयर में)			
फसल	2015—16	2016—17	2017—18#
गेहूँ	304.178	307.852	295.758
सभी फसलें	612.28**	635.29**	628.25**
उत्पादन (लाख टन में)			
फसल	2015—16	2016—17	2017—18#
गेहूँ	922.9	985.1	997.0
सभी फसलें	2767.9**	3063.87**	3161.36**

*कपास, जूट, मेस्ता, आलू एवं फोडर्स सहित

** केवल खाद्यान एवं तिलहन सहित

चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार

भाकृअनुप गणतंत्र दिवस झाँकी "किसान गाँधी" ने जीता प्रथम पुरस्कार

गणतंत्र दिवस परेड– 2019 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अपनी झाँकी, 'किसान गाधी' के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झाँकी ने ग्रामीण समृद्धि के लिए दूध उत्पादन, स्वदेशी नस्लों और पशुधन आधारित जैविक कृषि के महत्त्व को प्रदर्शित किया।

भाकृअनुप की झाँकी 'किसान गांधी' ने ग्रामीण समुदायों की समृद्धि के लिए कृषि और पशुधन को बेहतर बनाने हेतु गाँधीजी के दृष्टिकोण को चित्रित किया। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए, उन्होंने 1927 में भाकृअनुप–राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर केंद्र में पंद्रह दिनों के लिए डेरी फार्मिंग के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने इंदौर के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री में 1935 में खाद बनाने की 'इंदौर विधि' को भी देखा और उसकी सराहना की थी।

गाँधीवादी दर्शन में बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वदेशी नस्लों, जैविक कृषि और बकरी के दूध को बढ़ावा देना शामिल था। गाँधी के सपने को साकार करने की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमारे अन्नदाता, किसानों की आजीविका सुरक्षा और उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कृषि को रूपांतरित करने का अथक प्रयास कर रहा है। अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती से, भारत खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में सफल रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा दूध और कपास उत्पादक बना हुआ है। अत्याधुनिक विज्ञान

और प्रौद्योगिकी को विकसित और तैनात करके भारत खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफल रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा दूध और कपास का उत्पादक बना हुआ है।

झाँकी में बापू को बकरियों और एक गाय के साथ दिखाया गया था। जैविक कृषि, कपास और दुग्ध उत्पादन में क्रांति के साथ–साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए खाद्य सुरक्षा विश्लेषण भी दिखाए गए। कस्तूरबा गांधी को भी बापू कुटी में चरखा और जानवरों की देखभाल करते हुए दिखाया गया था। यह पशुधन आधारित दीर्घकालिक और जलवायु प्रतिरोधक्षमता कृषि का प्रतीक है।

70वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर प्रदर्शित की जाने वाली 22 झाँकियों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 16 तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के 6 झाँकी शामिल थे।

मिश्रित खेती, खुशियों की खेती

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तुत गणतंत्र दिवस 2018 की झांकी में समेकित कृषि प्रणाली को दर्शाया गया था। यह कृषि प्रणाली दो या अधिक कृषि उद्यमों के मिश्रण पर आधारित है और इसमें न्यूनतम संसाधन स्पर्धा के अलावा अधिकतम आपसी परिपूरकता की स्थिति होती है। इससे पर्यावरण हितैषी कृषि उत्पादन, रोजगार, आय एवं पारिवारिक पोषण में भी सहायता मिलती है। हमारे देश में फसल तथा पशुपालन (गाय, भैंस, बकरी,

भेड़, सूअर आदि) पर आधारित कृषि प्रणाली काफी लोकप्रिय है और 86 प्रतिशत से ज्यादा किसान इससे जुड़े हुए हैं। समेकित कृषि प्रणाली मॉडल में फसल पद्धतियों, बागवानी, डेरी, पोल्ट्री, सूअरपालन तथा जलजीव संवर्द्धन भी शामिल हैं जिनका चयन क्षेत्र, भू–स्वामित्व, श्रम उपलब्धता तथा निवेश के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह कृषि प्रणाली गुणवत्तापूर्ण आहार के साथ कृषि, पोषण एवं जलवायु अनुकूल कृषि तथा दोगुनी कृषि आय हेतु छोटे एवं सीमांत कृषकों के लिए विशेष तौर पर उपयुक्त है।

नोट

नोट

कृषि एवं वानिकी पर चौथी आसियान-भारत मंत्री-स्तरीय बैठक

कृषि एवं वानिकी संबंधी चौथी आसियान-भारत मंत्री स्तरीय बैठक
12 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली, भारत में हुई और
सतत सहयोग के लिए कृषि एवं वानिकी के क्षेत्र में
हमारी भावी पहलों के लिए आगे के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ।

साफ नीयत
सही विकास
राष्ट्रीय कृषि बाजार
किसानों के लिए मोबाइल एप
पीएम-आशा
मधुमक्खी पालन
कुक्कुट पालन
परंपरागत कृषि विकास योजना
नीली क्रांति
वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास
पीएम किसान
कृषि शिक्षा
राष्ट्रीय कामधेनू आयोग
कृषि वानिकी
हरित क्रान्ति
सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम
कृषि अनुसंधान
श्वेत क्रांति
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
दीनदयाल अन्त्योदय मिशन
नीम लेपित यूरिया
डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन
कृषि विस्तार
आपदा राहत के मानकों में परिवर्तन
कृषि यन्त्रीकरण
हरित क्रान्ति-कृषोन्नति
किसान टी.वी. चैनल
पीएम-किसान
10 करोड़ से अधिक किसानों को रूपये 6000 प्रति वर्ष मिलेगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना
कृषि सहकारिता
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
अटल पेंशन योजना
बागवानी
काले धन पर कड़ा प्रहार
कृषि आय क्रांति
कृषि विकास वृक्ष
सॉयल हैल्थ कार्ड
स्वस्थ धरा, खेत हरा